

भाग-III**हरियाणा सरकार**

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 फरवरी, 2020

संख्या का०आ० 14/ह०अ०11/1994/धा० 209/2020.— हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11), की धारा 209 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 2/ह०अ० 11/1994/धा० 209/2020, दिनांक प्रथम जनवरी, 2020 के प्रति-निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पंचायती राज (संचार टावर विनियमन) नियम, 2012, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा पंचायती राज (संचार टावर विनियमन) संशोधन नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा पंचायती राज (संचार टावर विनियमन) नियम, 2012, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं :
परन्तु ऐसा निरसन—
(क) निरसन के प्रभावशील होने के समय अप्रवृत्त या अविद्यमान किसी बात को पुनरुज्जीवित नहीं करेगा; या
(ख) इस प्रकार निरसित नियमों के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा; या
(ग) इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा; या
(घ) इस प्रकार निरसित नियमों के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा; या
(ङ.) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के सम्बन्ध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा;

तथा कोई ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और कोई ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकता है मानो उक्त नियम निरसित नहीं किए गए थे।

सुधीर राजपाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 24th February, 2020

No. S.O. 14/H.A. 11/1994/S. 209/2020.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994) and with reference to Haryana Government, Development and Panchayats Department, notification No. S.O. 2/H.A. 11/1994/S. 209/2020, dated the 1st January, 2020, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Panchayati Raj (Regulation of Communication Towers) Rules, 2012, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Panchayati Raj (Regulation of Communication Towers) Amendment Rules, 2020.

2. The Haryana Panchayati Raj (Regulation of Communication Towers) Rules, 2012, are hereby repealed :

Provided that such repeal shall not—

- (a) revive anything not in force or existing at the time at which the repeal takes effect; or
- (b) affect the previous operation of the rules so repealed or anything duly done or suffered thereunder;
- or
- (c) affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the rules so repealed; or
- (d) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed under the rules so repealed; or
- (e) affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said rules had not repealed.

SUDHIR RAJPAL,
Principal Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.